



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029
टेली: 2618 9709



सत्यमेव जयते

याचिका सं. 61/टीएल/2025

दिनांक: 24.2.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की

उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा IVए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी-105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली 110021 द्वारा आरटीएम रूट (इसके पश्चात् 'पारेषण योजना/परियोजना' कहा गया है) पर "खावड़ा फेस-V भाग बी3 के अधीन केपीएस3 (जीआईएस) एस/एस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्द्धन" के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है निम्नानुसार है:

क्र. सं.	योजना का नाम और कार्यान्वयन की समय-सीमा	अनुमानित लागत (₹करोड़)	टिप्पणी
1.	"खावड़ा फेस-V भाग बी3 योजना के अधीन केपीएस3 (जीआईएस) एस/एस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्द्धन अस्थायी कार्यान्वयन समय-सीमा : 24 माह	252	खावड़ा IVए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा आरटीएम के अधीन कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित

योजना का विस्तृत कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण योजना का कार्य-क्षेत्र	क्षमता/किलोमीटर
1.	1530 मेगावाट के लिए एजीईएल (आवेदन सं. 2200000953) द्वारा कार्यान्वित की जा रही 400 केवी डी/सी लाइन से प्रथम सीकेटी की समाप्ति के लिए 1 नं. 400 केवी लाइन बे सहित बस सेक्शन-II (8वां) पर 1x1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी द्वारा केपीएस3 (जीआईएस) पर रूपांतरण क्षमता का संवर्द्धन	<ul style="list-style-type: none"> 765/400 केवी आईसीटी-1 (1x1500 एमवीए) बस सेक्शन-II पर 765 केवी आईसीटी बे - 1 (भावी बे में स्विचबल लाइन रिक्क्टर (एसएलआर) उपबंध सहित डायग्नोसिस के लिए +1 नं. बे) बस सेक्शन-II पर 400 केवी आईसीटी बे - 1 (आरई अंतरसंयोजन के लिए प्रस्तावित लाइन की समाप्ति और डायग्नोसिस के लिए +1 नं. बे)
2.	1530 मेगावाट के लिए एजीईएल (आवेदन सं. 2200000953) द्वारा कार्यान्वित की जा रही 400 केवी डी/सी लाइन से दूसरी सीकेटी की समाप्ति के लिए केपीएस3 400 केवी बस सेक्शन-II पर 1 नं. 400 केवी लाइन बे	400 केवी लाइन बे - 1 नं. (भावी 400/220 केवी आईसीटी की समाप्ति के लिए उपबंध सहित डायग्नोसिस के लिए +1 नं. बे)

नोट: केपीएस3 (जीआईएस) का टीएसपी कार्य के उक्त क्षेत्र के लिए स्थान प्रदान करेगा।

- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 12.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 61/टीएल/2025 में दिनांक 21.2.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- खावड़ा IVए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 7.3.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 11.3.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता./-
(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव